Regarding poor condition of mines in Chhattisgarh

श्री बृजमोहन अग्रवाल **(**रायपुर**) :** माननीय सभापति महोदय, मैं पूरे देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण विषय को उठाना चाहता हूं । कोल इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एनएमडीसी की खदानें पूरे देश भर में हैं । उन खदानों में खुदाई होने के बाद उनके रिक्लेमेशन की कार्यवाही नहीं की जा रही है । हमारे छत्तीसगढ़ में 100 से अधिक खदानें ऐसी हैं, जिन खदानों का रिक्लेमेशन न होने के कारण वहां पर लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं । एक्सीडेंट होने के कारण जानवर और आदमी दोनों की मृत्यु हो रही है । इतना ही नहीं, उन खदानों में गंदा पानी भर जाने के कारण, उसके रिसाव से ट्यूबवेल के पीने का पानी भी पूरी तरह से खराब हो रहा है और वहां पर पर्यावरण भी पूरी तरह से खराब हो रहा है । सुप्रीम कोर्ट के नियम हैं और खदान का नियम भी है कि जितनी भी खदानें हैं, उनकी खुदाई होने के बाद भरण होना चाहिए और उनका रिक्लेमेशन करके राज्य सरकारों को वापस दी जानी चाहिए ।

मैं आपसे इस बात का आग्रह करना चाहता हूं कि इसके कारण छत्तीसगढ़ में एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ और एक बस खदान में गिर गई तथा दस लोगों की मौत हो गई । लगभग दो लाख करोड़ रुपये शासन के उपक्रम इससे कमाते हैं, परंतु इसके बाद भी कोयला खदान, लोहा खदान, बॉक्साइट खदान, लिग्नाइट खदान और लाइमस्टोन की खदान की खदानों के पुनर्भरण का काम नहीं किया जा रहा है । मैं आपसे इस बात का आग्रह करता हूं कि शासन निर्देश दे कि जितने शासकीय उपक्रमों की खदानें और प्राइवेट खदानें हैं, जहां पर कोयला, लोहा, लाइमस्टोन का उत्खनन हो गया है, उनको पुनर्भरण करके फिर से राज्य सरकारों को सौंपा जाए, जिससे उस जमीन का उपयोग उस क्षेत्र के लोगों और ग्रामीणों के लिए किया जा सके ।

मैं आपसे इस बात का आग्रह करते हुए मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इसको तत्काल संज्ञान में लें । मैं इस साल में लगभग तीसरी बात यह मुद्दा उठा रहा हूं ।